प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, बारां थाना :– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :–2023
   प्र0सू0रि0 संख्या ....10/2023........ दिनांक........11/1/2023..........
2. (1) अधिनियम व धाराएं– अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018
   (2) अधिनियम..धाराऐं........ ....
   (3) अधिनियम...धाराऐं..
   (4) अन्य अधिनियम एवं ....धाराऐं ....

3. (क) घटना का दिन :– सोमवार दिनांक :– 09.01.2023
   (ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :–05.01.2023 समय :– 05.00 पी.एम.
   (ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या ....216........ समय........5:45PM........
4. सूचना कैसे प्राप्त हुई (लिखित/मौखिक)– लिखित
5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
   (क) थाने से दिशा एवं दूरी– चौकी ए.सी.बी. बारां से करीब 50 कि0मी0 पूर्व–पश्चिम दिशा।
   बीट संख्या..जुरामदेही संख्या...
   (ख) पताः– पुरानी पंचायत भवन बमोरी के पास डडवाडा–आटोन मेन रोड जिला बारां राज0।
   (ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम...
6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–
(क) नाम :– श्री मुकेश कुमार मीणा
(ख) पिता/पति का नाम :– रमेश कुमार मीणा
(ग) जन्म तिथि/उम्र :– 40 साल
(घ) राष्ट्रीयता – भारतीय
(ड़) पासपोर्ट संख्या..................जारी करने की तिथि....................जारी करने का स्थान................
(च) व्यवसाय – ठेकेदारी व कृषि
(छ) पता :– ग्राम खरखडा आसन तहसील व थाना अटरू जिला बारां राजस्थान।
7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–
   1. श्री दिलीप कुमार मेहरा पुत्र श्री प्रभुलाल वर्मा जाति मेहर उम्र 48 साल निवासी पार्श्वनाथ जैन कॉलोनी खेडलीगंज अटरू जिला बारां हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कुंजेड पंचायत समिति अटरू जिला बारां
8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं
9. चोरी हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टियॉ (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
10. चोरी हुई/लिप्त सम्पति का कुल मूल्यः – 20,000रूपये ....
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो)...
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

महोदय,

वाक्यात मामला हाजा इस प्रकार है कि दिनांक 05.01.2023 समय 05.00 पीएम पर परिवादी श्री मुकेश कुमार मीणा पुत्र रमेश कुमार जाति मीणा उम्र 35 साल निवासी खरखडा आसन तहसील अटरू जिला बारां ने ब्यूरों कार्यालय एसीबी बारां मे उपस्थित होकर स्वयं परिवादी द्वारा हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि मैं ठेकेदारी का काम करता हूं। मेरी फर्म आराध्या कन्स्ट्रक्शन खरखड़ा आसन के नाम से है। मेरी फर्म का निर्माण सामग्री सप्लाई करने का कार्य है। मैने ग्राम पंचायत कुंजेड़ में निर्माण कार्य व सामग्री सप्लाई के पेटे करीबन चार लाख पचार हजार रूपये बकाया चल रहे है। जिसके भुगतान के लिये मैं ग्राम पंचायत का ग्राम विकास अधिकारी श्री दिलीप सिंह मेहरा से जाकर मिला तो मेरे बकाया बिल के भुगतान के एवज में पांच प्रतिशत के हिसाब से रिश्वत की मांग कर रहा है। मैं उसको अपने जायज कार्य के लिये रिश्वत नही देना चाहता हूं और उसे रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं उससे मेरी कोई रंजिश नही है ना ही कोई पुराना बकाया है। कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। परिवादी मुकेश कुमार मीणा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों के अवलोकन एंव मजीद दरियाप्त से मामला भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की परिधि मे आना पाया जाने से रिश्वत की मांग का सत्यापन कराया जाना आवश्यक होने से समय 6.00 पी0एम0 पर कार्यालय के

अनिष

मालखाने से डिजीटल वाईस रिकार्डर निकलवाया जाकर परिवादी श्री मुकेश कुमार मीणा को चालू व बंद करने की विधि समझाईश की गई। परिवादी ने बताया कि चूंकि अब शाम का समय हो गया है। अतः आज आरोपी के उसके कार्यस्थल या कार्यक्षेत्र में मिलने की संभावना नही है। इस पर परिवादी मुकेश कुमार मीणा व कार्यालय के श्री लोकेश कानि 362 का आपस में परिचय कराया और परिवादी को समझाईश की गई कि कल दिनांक 06.01.2023 को आरोपी को उसके कार्यस्थल पर होने की जानकारी मन् टीलएओ को देवें। ताकि इस कार्यालय से किसी कर्मचारी को आपके पास समय पर डिजीटल वाईस रिकार्डर देकर भिजवाया जा सके। गोपनियता बरतने की मुनासिब हिदायत कर परिवादी श्री मुकेश कुमार मीणा को कार्यालय से सकुशल रूकसत किया गया। डिजीटल वाईस रिकार्डर वापस मालखाना में रखवाया गया। दिनांक 06.01.2023 समय 11.05 ए0एम0 पर परिवादी श्री मुकेश कुमार मीणा ने मन् उप अधीक्षक को उसके मोबाईल से मेरे मोबाईल पर कॉल कर बताया कि आरोपी दिलीप सिंह मेहरा ग्राम विकास अधिकारी उसके घर पर अटरू कस्बे में ही है और श्री दिलीप सिंह मेहरा से मेरी रिश्वत मांगने के सम्बन्ध में बात हो सकती है। मुझे आने जाने में काफी समय लग जायेगा। अतः आप आपके कार्यालय से एक कर्मचारी को रिकार्डर देकर शीघ्र भिजवाये। समय 11.30 ए0एम0 पर श्री लोकेश कानि0 362 को कार्यालय के मालखाना से डिजीटल वाईस रिकार्डर निकलवाया जाकर सुपुर्द किया गया। परिवादी श्री मुकेश कुमार मीणा को कानि0 लोकेश व कानि0 लोकेश को परिवादी के मोबाईल नम्बर नोट कराये गये तथा लोकेश कानि0 को परिवादी से सम्पर्क कर उसके बताये गोपनीय स्थान पर सम्पर्क कर डिजीटल वाईस रिकार्डर परिवादी को बन्द व चालू करने की विधि समझाकर सुपुर्द करें तथा आरोपी व परिवादी के बीच होने वाली वार्ता को देखने व सुनने का यथासंभव प्रयास करने की आवश्यक हिदायत दी जाकर सत्यापन हेतु श्री लोकेश कानि0 362 को कस्बा अटरू रवाना किया गया। समय 01.45 पी0एम0 पर श्री लोकश कानि0 362 ने जर्ये मोबाईल मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मैं चौकी से रवाना होकर परिवादी के बताये अनुसार कस्बा अटरू पंहुचा। जहां परिवादी अपने मोटरसाईकिल से मेरे पास आया। जिसको मैने डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के रिकार्डर चालू व बन्द करने की विधि की समझाईश कर सुपुर्द कर दिया था तथा गोपनियता की आवश्यक समझाईश कर आरोपी से रिश्वत मांग वार्ता करने के लिये आरोपी के निजी आवास कस्बा अटरू की ओर रवाना हो गये थे। परिवादी ने मुझे आरोपी के आवास से कुछ दूरी पर ही उतार दिया और परिवादी आरोपी से वार्ता करने हेतु आरोपी के मकान में अन्दर चला गया था। जो करीबन पौन घण्टे बाद वापस आया और मुझे डिजीटल वाईस रिकार्डर सुपुर्द कर बताया कि मेरी आरोपी श्री दिलीप सिंह मेहरा से बात हो गई है जो आपके द्वारा दिये गये रिकार्डर में रिकार्ड हो गयी है। आरोपी ने मेरे से मेरे पेण्डिंग भुगतान के काम के लिये 40,000 रूपये की मांग की है। आरोपी ने वार्ता में आज या कल सुबह तक रिश्वत देने के लिये कहा है। जिसकी पुष्टि मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी से बात कर की तो श्री लोकेश कानि0 362 के बताये कथनों की पुष्टि हुई। परिवादी ने बताया कि मुझे रिश्वत राशि का इन्तजाम करने में व कार्यालय में आने में काफी समय लग जायेगा। अतः आप अपनी टीम लेकर यही आ जाये। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी को रिश्वत राशि का इन्तजाम करने व वही रूककर टीम के आने का इन्तजार करने की समझाईश कर लोकेश कानि 362 को डिजीटल वाईस रिकार्डर लेकर एसीबी कार्यालय बारां आने की हिदायत की गई। समय 03.05 पी0एम0 पर श्री लोकेश कानि 362 कार्यालय हाजा आया और उसने अपने पास से डिजीटल वाईस रिकार्डर मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश किया। डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को मन् टीएलओ द्वारा सुना तो वार्ता में रिश्वत मांग का सत्यापन होना पाया गया जिससे परिवादी व लोकेश कानि0 362 द्वारा मोबाईल वार्ता में बताई गये हालात की पुष्टि हुई। डिजीटल टेप रिकार्डर को मालखाने मे सुरक्षित रखवाया गया। समय 03.52 पी0एम0 पर परिवादी श्री मुकेश कुमार मीणा से मन् उप अधीक्षक पुलिस की मोबाईल वार्ता हुई जिसमें परिवादी ने बताया कि मेरे पास अभी रिश्वत राशि का इन्तजाम नही हुआ है। अतः मैं आज कल में रिश्वत राशि का इन्तजाम कर दिनांक 09.01.2023 को सोमवार को सुबह 10 एएम तक आवश्यक रूप से आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। इस पर परिवादी को गोपनियता रखने की हिदायत की गई। दिनांक 09.01.2023 समय 09.30 ए0एम0 पर कार्यवाही हेतु श्री लोकेश कानि0 362 को एक लिखित तहरीर अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण खण्ड जिला बारां के नाम देकर, वहां से दो स्वतंत्र गवाह यथासंभव राजपत्रित अधिकारी अपने साथ लाने की हिदायत कर रवाना किया गया। समय 10.25 ए0एम0 पर परिवादी मुकेश कुमार मीणा पुत्र रमेश कुमार जाति मीणा उम्र 35 साल निवासी खरखडा आसन तहसील अटरू जिला बारां उपस्थित कार्यालय आया और बताया कि मुझसे रिश्वती राशि 20,000 रूपये की ही व्यवस्था हुई है जो मैं लेकर आया हूं। परिवादी को कार्यालय में बैठाया गया। समय 10.30 ए0एम0 पर श्री लोकेश कानि0 362 स्वतंत्र गवाहान श्री अभिषेक कुमार गुप्ता पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति महाजन उम्र 25 साल निवासी ग्राम व पोस्ट किशोरपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली हाल कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग जिला बारां, मो0न0– 9782307649 व श्री सोनू कुमार मीना पुत्र श्री छूटनलाल मीना जाति मीना उम्र 24 साल निवासी ग्राम गुर्जर गॉवडा व पोस्ट गॉवडा

अनिष

मीना हाल तहसील हिण्डोनसीटी जिला करौली हाल कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निमार्ण विभाग जिला बारां, मो0न0– 8209978090 को साथ लेकर कार्यालय आया। परिवादी श्री मुकेश कुमार मीणा से दोनों गवाहान का आपस मे परिचय करवाया। दोनो गवाहो को होने वाली ट्रेप कार्यवाही मे उपस्थित रहने की सहमति चाही तो दोनो गवाहान ने अपनी अपनी मौखिक सहमती दी। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दोनो गवाहान को पढकर सुनाया जाकर दोनों गवाहान के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवाये गये। समय 10.40 ए0एम0 पर कार्यालय के मालखाने से डिजिटल वाईस रिकार्डर निकालकर उसमें दिनांक 06. 01.2023 की रिश्वत मांग के सम्बन्ध में रिकॉर्ड की गई वार्ता को कार्यालय के लेपटॉप मे लगाकर स्पीकर चालू कर दोनों गवाहान व परिवादी को सुनाया गया। परिवादी ने रिकार्डर की वार्ता में एक आवाज अपनी व एक आवाज आरोपी ग्राम विकास अधिकारी श्री दिलीप सिंह मेहरा की होना बताया। दोनों गवाहान व परिवादी ने रिकार्ड वार्ता में रिश्वत मांग का सत्यापन होना पाया जाना स्वीकार किया। समय 11.25 ए0एम0 पर स्वतंत्र गवाहान श्री सोनू कुमार मीना व श्री अभिषेक कुमार गुप्ता के समक्ष परिवादी श्री मुकेश कुमार मीणा पुत्र श्री रमेश कुमार जाति मीणा उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम खरखडा आसन तहसील अटरू जिला बारां ने अपने पास से निकालकर आरोपी श्री दिलीप सिंह मेहरा ग्राम विकास अधिकारी को बतौर रिश्वत दिये जाने हेतु 20,000 रूपये के पांच पांच सौ के 40 नोट कुल अक्षरे बीस हजार रूपये मात्र मन् अनिष अहमद उप अधीक्षक पुलिस, एसीबी चौकी बारां को पेश किये। भारतीय मुद्रा के नोटों के नम्बर निम्न प्रकार है :–

क्र.स	नोट का विवरण	नोट का नम्बर
1.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	3 BU 854081
2	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	3 CF 094352
3	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	3 FN 251923
4	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	6 AM 255720
5	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	3 SM 243899
6	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	6 WN 619352
7	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	4 TR 061437
8	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	8 WM 347928
9	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	9 RD 776033
10	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	0 RN 140600
11	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	4 SP 107286
12	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	8 BH 747955
13	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	9 EH 646240
14	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	5 HE 283640
15	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	0 EN 787794
16	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	0 EN 787793
17	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	0 EN 787792
18	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	0 EN 787791
19	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	9 ED 439078
20	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	8 HL 812175
21	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	9 FP 579601
22	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	9 FP 579602
23	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	9 FP 579603
24	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	9 FP 579604
25	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	9 FP 579605
26	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	9 FP 579606
27	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	9 FP 579607
28	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	9 FP 579608
29	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	9 FP 579609
30	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	9 FP 579610

अनिष

31	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	9 FP 579611
32	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	9 FP 579612
33	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	9 FP 579613
34	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	9 FP 579614
35	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	9 FP 579615
36	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	9 FP 579616
37	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	9 FP 579617
38	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	9 FP 579618
39	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	9 FP 579619
40	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	9 FP 579620

श्री यशवन्त शर्मा कनिष्ठ सहायक से मालखाना से फिनोंफ्थलीन पावडर की शीशी निकलवाकर उक्त नोटों को एक अखबार के उपर रखकर उन पर सावधानी पूर्वक फिनोफथलीन पावडर लगवाया गया ताकि पावडर की उपस्थिति प्रभावी किन्तु अदृश्य रहे। परिवादी श्री मुकेश कुमार मीणा की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री सोनू कुमार मीना से लिवाई जाकर परिवादी श्री मुकेश कुमार मीणा के पास उसके पहने हुए वस्त्रों के अलावा मोबाईल फोन के छोडकर अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। रिश्वत में दिये जाने वाले पाउडर लगे हुये 20,000 रूपये को परिवादी की पहनी हुई जींस की पेण्ट की सामने की दाहिनी जेब में श्री यशवन्त कनिष्ठ सहायक से रखवाये गये। इसके बाद एक काँच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेंट पावडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन घोल में श्री यशवन्त शर्मा कनिष्ठ सहायक के हाथ की उंगलियों को डालकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रक्रिया व दृष्टांत को दोनों स्वतंत्र गवाहान् एवम् परिवादी को समझाया गया कि संदिग्ध व्यक्ति इन नोंटों को अपने हाथ से ग्रहण करेगा या छुयेगा तो उसके हाथ सोडियम कार्बोनेंट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। जिस अखबार पर रखकर रिश्वत में दी जाने वाली राशि/नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया व घोल को बाहर फिंकवाया गया। फिनोफ्थलीन पावडर की शीशी वापस मालखाने में रखवायी गई। श्री यशवन्त कनिष्ठ सहायक के हाथ एवम् ट्रेप कार्यवाही में काम में आने वाले गिलास व शीशियों को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाये गये। ट्रेप पार्टी के सदस्यों, परिवादी व गवाहो ने भी अपने-अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये। परिवादी मुकेश कुमार मीणा को हिदायत दी गई कि उक्त नोटों को रास्ते में अनावश्यक रूप से नहीं छुवे एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही रिश्वत राशि आरोपी को देवें। परिवादी मुकेश कुमार मीणा को समझाया कि रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर हाथ फैरकर ईशारा करे या अपने मोबाईल नम्बर से मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर कॉल करें। डिजीटल टेप रिकार्डर परिवादी को दिया जाकर चालू व बंद करने का तरीका समझाया गया तथा रिश्वत के लेनदेन की वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु परिवादी को समझाईश की जाकर कार्यवाही की फर्द पेशकशी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 12.15 पी0एम0 पर परिवादी श्री मुकेश कुमार मीणा व श्री लोकेश कानि0 362 को परिवादी की मोटरसाईकिल से कस्बा कुंजेड़ से कुछ दूरी पूर्व रूकने की हिदायत कर रवाना किया गया। पीछे पीछे मन् उप अधीक्षक पुलिस अनिष अहमद मय दोनो स्वतंत्र गवाहन श्री अभिषेक कुमार गुप्ता व श्री सोनू कुमार मीना मय जाप्ता श्री इस्माईल अंसारी है0 कानि0 07, श्री उमाशंकर शर्मा है0कानि0 125 , श्री मनोज कुमार कानि0 211 , श्री दिनेश कानि0 360 मय चालक श्री नरेन्द्र सिंह कानि0 के मय सरकारी व प्राईवेट वाहन मय लेपटॉप, प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स, ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली सामग्री सहित कस्बा कुंजेड़ के लिये रवाना हुआ। समय 01.04 पी0एम0 पर मन् उप अधीक्षक पुलिस अनिष अहमद को श्री लोकेश कानि0 362 ने जर्ये मोबाईल कॉल कर बताया कि अभी परिवादी श्री मुकेश कुमार मीणा की आरोपी दिलीप सिंह मेहरा से बात हुई है आरोपी ने परिवादी को डडवाडा बुलाया है। इस पर परिवादी व लोकेश कानि0 को डडवाडा पहुंचकर गउगांठ रोड पर मिलने की हिदायत दी गई। 01.35 पी0एम0 पर मन् उप अधीक्षक पुलिस अनिष अहमद मय दोनो स्वतंत्र गवाहन श्री अभिषेक गुप्ता व श्री सोनू कुमार मीना मय जाप्ता श्री इस्माईल अंसारी है0 कानि0 07, श्री उमाशंकर शर्मा है0कानि0 125, श्री मनोज कुमार कानि0 211, श्री दिनेश कानि0 360 मय चालक श्री नरेन्द्र सिंह कानि0 के मय सरकारी व प्राईवेट वाहन मय लेपटॉप, प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स, ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली सामग्री सहित रवाना होकर डडवाडा से कुछ दूरी पूर्व गउगांठ रोड़ पहुंचा जहां परिवादी श्री मुकेश

अनिष

मीणा व लोकेश कानि0 उपस्थित मिले। परिवादी ने बताया कि आरोपी ने मुझे डडवाड़ा से आटोन रोड पर स्थित पुरानी ग्राम पंचायत बमोरी के पास बुलाया है। इस पर परिवादी को पूर्व में सुपुर्द किया गया डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू करवाकर परिवादी की जाकिट की सामने की दायी जेब में रखवाकर परिवादी की मोटरसाईकिल पर मनोज कानि0 211 को बैठाकर आरोपी के बताये स्थान पुराने पंचायत भवन बमोरी डडवाडा–आटोन रोड मुनासिब हिदायत कर रवाना किया। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय टीम परिवादी के पीछे पीछे रवाना होकर समय 01.50 पी0एम0 पर मय टीम के डडवाडा–आटोन रोड पर पुराने पंचायत भवन बमोरी से कुछ दूरी पहले जहां से पंचायत भवन नजर आ रहा था रूका जहां श्री मनोज कानि0 211 खड़ा मिला वहां मन् उप अधीक्षक पुलिस अपनी व टीम की उपस्थिति को छुपाते हुये परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुआ। समय 01.55 पी0एम0 पर परिवादी श्री मुकेश कुमार मीणा ने मन् उप अधीक्षक पुलिस व टीम की ओर पूर्व में निर्धारित ईशार अपने सिर पर हाथ फेरकर किया इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय टीम के परिवादी श्री मुकेश कुमार मीणा जो पुराने पंचायत भवन बमोरी से कुछ दूरी पूर्व सडक पर एक व्यक्ति के पास खडा था, पहुंचा। परिवादी से डिजिटल टेप रिकार्डर प्राप्त कर बंद किया गया। परिवादी ने अपने पास में खडे एक व्यक्ति जिसने ग्रे रंग की पेन्ट व शर्ट तथा लाल रंग की जाकिट पहन रखी है की तरफ ईशारा करके बताया कि ये ही श्री दिलीप सिंह मेहरा ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कुंजेड है जिन्होने मुझसे अभी अभी रिश्वत राशि 20,000 रूपये लेकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की सामने दायीं जेब में रखे है। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी के बताये हुलिये के व्यक्ति को अपना व टीम का परिचय देते हुये उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री दिलीप कुमार मेहरा पुत्र श्री प्रभुलाल वर्मा जाति मेहर उम्र 48 साल निवासी पार्श्वनाथ जैन कॉलोनी खेडलीगंज अटरू जिला बारां हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कुंजेड पंचायत समिति अटरू जिला बारां होना बताया इस पर आरोपी दिलीप कुमार मेहरा को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने जाप्ते व गवाहो की मदद से यथास्थिति में गाड़ी में बैठाया। डडवाडा से आटोन जाने वाले मेन रोड़ के आसपास कार्यवाही के लिये उचित स्थान नही होने से अग्रिम कार्यवाही हेतु मन् उप अधीक्षक पुलिस मय टीम मय आरोपी दिलीप कुमार मेहरा के साथ लाये वाहनों से व परिवादी को उसकी मोटरसाईकिल, श्री ईस्माइल है0कानि0 को आरोपी की मोटर साईकिल से पीछे पीछे आने की कहकर कार्यालय वृत्ताधिकारी वृत अटरू जिला बारां रवाना हुआ। समय 02.20 पी0एम0 पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता, स्वतंत्र गवाहान व आरोपी दिलीप कुमार मेहरा के साथ लाये वाहनों से रवाना होकर कार्यालय वृत्ताधिकारी वृत अटरू जिला बारां पंहुचा जहां परिवादी श्री मुकेश कुमार मीणा व श्री इस्माईल अंसारी है0कानि0 उपस्थित मिले। समय 02.25 पी0एम0 पर वृताधिकारी अटरू से उनके कार्यालय में अग्रिम कार्यवाही करने की अनुमति चाही तो उन्होने कार्यालय में एक कमरा उपलब्ध करवाया जहां कार्यवाही से सम्बन्धित सामग्री रखकर ट्रेप में अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की। आरोपी श्री दिलीप कुमार मेहरा को तसल्ली से बैठाकर परिवादी से ग्रहण की गई रिश्वत राशि लेने के सम्बन्ध में पूछा तो आरोपी श्री दिलीप कुमार मेहरा ग्राम विकास अधिकारी ने बताया कि मैने मुकेश कुमार मीणा से कोई रिश्वत राशि नही ली है, मुकेश मीणा ने जबरदस्ती कुछ रूपये मेरी पहनी हुई पेन्ट की दायीं जेब में रखे है। इस पर गवाह श्री अभिषेक गुप्ता से आरोपी की पहनी पेन्ट की दायी जेब की तलाशी लिवाई गई तो आरोपी की पहनी पेन्ट की सामने की दायीं जेब से पांच पांच सौ रूपये के नोट मिले जिनको गिनवाया गया तो गवाह ने पांच पांच सौ के चालीस नोट कुल 20,000 रूपये होना बताया। दोनों गवाहान से आरोपी की पेन्ट की दायीं जेब से बरामद रिश्वत राशि का मिलान फर्द पेशकशी एवं दृष्टान्त फिनोफथलीन पावडर से किया गया तो हू ब हू उसी नम्बर के नोट होना पाया गया। बरामदशुदा नोटों को एक पीले रंग के कागज के लिफाफे में रखवाया जाकर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात् हाथ धुलाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। कार्यालय में रखे पानी के केम्पर से एक बोतल में साफ पानी मंगवा कर साफ कॉच के दो गिलास में पानी डाला गया, उसमें सोडियम कार्बोनेट पावडर डालकर घोल तैयार किया गया। दोनों गिलासों के घोल का रंग रंगहीन रहा। इस घोल के एक गिलास में आरोपी श्री दिलीप कुमार मेहरा के दांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। जिसे दो साफ कॉच की शीशीयों में आधा–आधा भरवाकर चिट चस्पा कर सील किया गया। शीशीयों पर मार्क आरएच–1, आरएच–2 अंकित किया गया और सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात दूसरे साफ कॉच के गिलास के घोल में आरोपी श्री दिलीप कुमार मेहरा के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया जिसे साफ कॉच की दो शीशीयों में आधा–आधा भरवाकर चिट चस्पा कर सील किया गया। शीशीयों पर मार्क एलएच–1 एलएच–2 अंकित किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद आरोपी श्री दिलीप कुमार मेहरा की जामा तलाशी लिवाई गयी तो आरोपी की पहनी

अनिष

हुई की पेन्ट की सामने की बायीं जेब में एक मोबाईल रेडमी कम्पनी का बरंग गहरा नीला दो सीम वाला जिसमें एक सिम वोडाफोन कम्पनी की नम्बर 9982988226 व दुसरी सिम एयरटेल कम्पनी की नम्बर 9001334556 मिला मोबाईल के पीछे वाईटनर से अंग्रेजी में दिलीप कु मेहरा लिखा है। जिसे वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। आरोपी श्री दिलीप कुमार मेहरा की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दायीं जेब का धोवन लेना आवश्यक होने से आरोपी के भाई ब्रजराज वर्मा से पहनने के लिये एक पेन्ट मंगवाकर पहनी हुई पेन्ट को खुलवाकर दुसरी मंगवाई गई पेन्ट पहनाई गई तथा साफ कॉच के एक गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमे सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। इस रंगहीन घोल में आरोपी श्री दिलीप कुमार मेहरा की पेन्ट की सामने की दायीं जेब को उल्टा करके डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस घोल को भी दो साफ कॉच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील चस्पा कर मार्क पी–1, पी–2 अंकित किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद पेन्ट को सुखाकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सील मोहर किया जाकर विवरण अंकित कर सम्बन्धित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क–पी अंकित कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात् आरोपी श्री दिलीप कुमार मेहरा से पूछा गया कि आपने परिवादी श्री मुकेश कुमार मीणा से उक्त रिश्वत राशि किस लिये ली इस पर आरोपी दिलीप कुमार ने बताया कि मैने मुकेश मीणा से कोई रिश्वत की मांग नही की मुकेश मीणा ने जबरन मेरी पेन्ट की जेब में रिश्वत राशि रखी है इस पर सामने खडे परिवादी श्री मुकेश मीणा ने आरोपी के कथनों का खण्डन करते हुये बताया कि मैं ठेकेदारी का काम करता हूं, मेरी फर्म आराध्या कन्स्ट्रक्शन खरखड़ा आसन के नाम से है। मेरी फर्म निमार्ण सामग्री सप्लाई करने का कार्य है। मेरे ग्राम पंचायत कुंजेड़ में निर्माण कार्य व सामग्री सप्लाई के पेटे करीबन चार लाख पचास हजार रूपये बकाया चल रहे है। जिसके भुगतान के लिये मैं इन दिलीप कुमार मेहरा से जाकर मिला तो मेरे बकाया बिल के भुगतान के एवज में पांच प्रतिशत के हिसाब से रिश्वत की मांग की जो दिनांक 06.01.2023 की मांग सत्यापन वार्ता में भी रिकार्ड है। सत्यापन मांग वार्ता के अनुसार आज इन्होने मेरे से 20,000 रूपये प्राप्त कर गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की दायीं जेब में स्वयं ने रखी है। इस पर पुनः तसल्ली देकर आरोपी श्री दिलीप कुमार मेहरा से रिश्वत राशि लेने के बारे में पूछा गया तो आरोपी दिलीप कुमार ने बताया कि श्री मुकेश कुमार मीणा ठेकेदारी का काम करता है। इसने ग्राम पंचायत कुंजेड में 1. इन्टरलॉकिंग खरंजा मय नाली निर्माण कार्य राकेश सुवालका की दुकान के कोने से मदन मेरोठा के मकान की ओर ग्राम कुंजेड़ 2. इन्टरलॉकिंग खरंजा मय नाली निर्माण कार्य निचला पाडा महादेव मन्दिर से बाबूलाल माली की ओर कुंजेड 3.नाला निमार्ण कार्य आंगनबाडी केन्द्र से स्कूल की ओर उदयपुरिया 4. सामुदायिक सम्पतियों का रखरखाव एवं मरम्मत कार्य कुंजेड किया था। जिसका कुल साढे पांच लाख रूपये का काम हुआ था। मैने मुकेश मीणा को एक लाख रूपये का भुगतान करवा दिया था तथा शेष साढ़े चार लाख के बिल मेरे पास पैण्डिंग थे। उन्ही बिलों की राशि मुकेश मीणा के खाते में डलवाने की एवज में मेरी दिनांक 06.01.2023 को मुकेश कुमार मीणा से 30,000 रूपये तो वर्तमान बिलों के भुगतान के लिये व 6,000 रूपये पूर्व के बिलों के बकाया कुल 40,000 रूपये देने की बात हुई थी जिसमें से आज मुकेश मीणा ने मुझे 20,000 रूपये दिये है जो मैने गिनकर मेरी पहनी हुई पेन्ट की सामने की दायी जेब में रखे थे जो आपने बरामद कर लिये है। इसके बाद आरोपी श्री दिलीप कुमार मेहरा से परिवादी श्री मुकेश कुमार मीणा के पेण्डिंग कार्यों से सम्बन्धित दस्तावेजों के बारे में पूछा तो आरोपी ने बताया कि मुकेश मीणा के उक्त चारों कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलीयां कार्यालय विकास अधिकारी पंचायत समिति अटरू में है। परिवादी के पेण्डिंग कार्यो से सम्बन्धित दस्तावेज पंचायत समिति अटरू से प्राप्त किये जायेंगे। आरोपी श्री दिलीप कुमार मेहरा ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कुंजेड पंचायत समिति अटरू जिला बारां में दौराने ट्रेप आरोपी की मोटर साईकिल नम्बर आरजे 28 एसएफ 0890 हीरो कम्पनी बरंगल काला एचएफ डिलक्स को कब्जे ब्यूरो लिया गया। जिसको थाना परिसर थाना अटरू में सुरक्षा की दृष्टि से रखने हेतु भिजवाई गई। फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धुलाई नियमानुसार मुर्तिब कर सम्बन्धितों को पढकर सुनाई जाकर हस्ताक्षर करवाये गये। समय 03.45 पी0एम0 पर गवाहान के समक्ष जर्ये नोटिस श्री दिलीप कुमार मेहरा पुत्र श्री प्रभुलाल वर्मा जाति मेहर उम्र 48 साल निवासी पार्श्वनाथ जैन कॉलोनी खेडलीगंज अटरू जिला बारां हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कुंजेड पंचायत समिति अटरू जिला बारां को सूचित किया किया गया कि आप द्वारा परिवादी श्री मुकेश कुमार मीणा से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के दौरान दिनांक 06.01.2023 व वक्त रिश्वत लेन देन दिनांक 09.01.2023 आप द्वारा रिश्वत मांग कर रिश्वत राशि प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेण्ट की सामने की दायीं जेब में रखा जाना पाया गया है। सत्यापन वार्ता दिनांक 06.01.2023 व लेनदेन वार्ता दिनांक 09.01.2023 को सरकारी डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया है। उक्त रिकॉर्ड की गई दोनों वार्ताओं में आपकी आवाज का मिलान एफएसएल जयपुर से करवाने हेतु आपकी आवाज के नमूने की

आनिल

आवश्यकता है। आप अपनी आवाज का नमूना परीक्षण हेतु देना चाहते हैं या नहीं इस सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट राय अंकित करें। इस पर आरोपी दिलीप कुमार मेहरा ने फर्द नमूना आवाज नोटीस पर लिखकर दिया कि "मैं मेरी अपनी मर्जी से मेरी आवाज का नमूना नही देना चाहता हूं। समय 04.15 पी0एम0 पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री दिलीप कुमार मेहरा पुत्र श्री प्रभुलाल वर्मा जाति मेहर उम्र 48 साल निवासी पार्श्वनाथ जैन कॉलोनी खेडलीगंज अटरू जिला बारां हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कुंजेड पंचायत समिति अटरू जिला बारां को अवगत कराया गया कि उसके द्वारा परिवादी श्री मुकेश कुमार मीणा ठेकेदार से उसके द्वारा कस्बा कुंजेड में किये गये कार्यों के साढ़े चार लाख रूपये के बिल आपके पास पैण्डिंग थे। उन्ही बिलों की राशि मुकेश मीणा के खाते में डलवाने की एवज में आप द्वारा रिश्वत की मांग कर आज मुकेश मीणा से आपने 20,000 रूपये प्राप्त कर गिनकर आपकी पहनी हुई पेन्ट की दायी जेब में रखे थे, जो दौराने कार्यवाही बरामद कर कर कब्जे ब्यूरो लिये गये है। आपका उक्त कृत्य धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 के तहत दण्डनीय अपराध है। श्री दिलीप कुमार मेहरा की न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने व आरोपी द्वारा साक्ष्यों को प्रभावित करने की पूर्ण संभावना होने से आरोपी की गिरफ्तारी आवश्यक होने से श्री दिलीप कुमार मेहरा पुत्र श्री प्रभुलाल वर्मा जाति मेहर उम्र 48 साल निवासी पार्श्वनाथ जैन कॉलोनी खेडलीगंज अटरू जिला बारां हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कुंजेड पंचायत समिति अटरू जिला बारां को गिरफ्तारी के आधार तथा कारणों एवं उसके संवेधानिक अधिकारों से भली भांति अवगत कराने के उपरान्त बसबूत जुर्म अपराध धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में नियमानुसार गिरफ्तार किया जाकर हिरासत ब्यूरो लिया गया। आरोपी श्री दिलीप कुमार मेहरा की गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहे अनुसार उसके भाई ब्रजराज वर्मा को दी गई। फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी नियमानुसार मुर्तिब की गई। समय 04.30 पी0एम0 पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने विकास अधिकारी पंचायत समिति अटरू जिला बारां को आरोपी श्री दिलीप कुमार मेहरा ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कुंजेड का सेवा विवरण व परिवादी श्री मुकेश कुमार मीणा के ग्राम पंचायत कुंजेड में किये गये कार्यो से सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिया उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन किया गया। चूंकि आरोपी के पार्श्वनाथ जेन कॉलोनी अटरू स्थित निवास की खाना तलाशी ली जानी है इसलिये थाना अटरू से एक महिला कानि0 तलब की जाकर मन उप अधीक्षक पुलिस मय एसीबी टीम मय गिरफ्तारशुदा आरोपी दिलीप कुमार मेहरा मय स्वतंत्र गवाहान मय सुश्री रसना मीणा महिला कानि0 1168 थाना अटरू के आरोपी के निवास की खाना तलाशी हेतु पार्श्वनाथ जेन कॉलोनी कस्बा अटरू रवाना हुआ। परिवादी को कार्यालय वृत्ताधिकारी वृत्त अटरू में मुनासिब हिदायत देकर छोड़ा गया। समय 04.50 पी0एम0 पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय एसीबी टीम मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री दिलीप कुमार मेहरा मय स्वतंत्र गवाहान मय सुश्री रसना मीणा महिला कानि0 1168 थाना अटरू के खाना तलाशी हेतु उसके निवास पार्श्वनाथ जेन कॉलोनी कस्बा अटरू पहुंचा। समय 05.00 पी0एम0 पर स्वतंत्र गवाहान श्री अभिषेक गुप्ता व श्री सोनू कुमार मीना की उपस्थिति में गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री दिलीप कुमार मेहरा के समक्ष उसके आवास की खाना तलाशी ली गई। खाना तलाशी के दौरान आरोपी के निवास से कोई दस्तावेज तथा अन्य कोई संन्दिग्ध वस्तु कब्जे ब्यूरों नही ली गई। खाना तलाशी मौके पर मुर्तिव की गई। समय 06.00 पी0एम0 पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान मय टीम मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री दिलीप कुमार मेहरा के घटनास्थल के निरीक्षण हेतु आटोन रोड़ डडवाडा रवाना हुआ। सुश्री रसना मीणा महिला कानि0 1168 थाना अटरू को थाना अटरू रवाना किया गया। समय 06.20 पी0एम0 पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान मय टीम मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री दिलीप कुमार मेहरा के रवाना हाकर कार्यालय वृत्ताधिकारी वृत अटरू से परिवादी श्री मुकेश मीणा को हमराह लेकर पुरानी पंचायत भवन बमोरी के पास आटोन रोड़ डडवाडा पहुंचा। जहां दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री मुकेश मीणा की मौजूदगी में घटनास्थल का नजरी निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका मुर्तिव किया गया। समय 06.45 पी0एम0 पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान, एसीबी टीम, गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री दिलीप कुमार मेहरा व परिवादी के बाद निरीक्षण घटना स्थल अग्रिम कार्यवाही हेतु कार्यालय वृत्ताधिकारी वृत अटरू रवाना होकर समय 07.00 पी0एम0 पर मय स्वतंत्र गवाहान, एसीबी टीम, गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री दिलीप कुमार मेहरा व परिवादी के कार्यालय वृत्ताधिकारी वृत अटरू पहुंचा। समय 07.05 पी0एम0 पर श्री मुकुट बिहारी नागर पुत्र श्री ब्रजमोहन नागर जाति धाकड़ उम्र 33 साल निवासी ग्राम बिसनखेडी तहसील खानपुर जिला झालावाड़ हाल सहायक अभियन्ता पंचायत समिति आवासीय परिसर अटरू जिला बारां मोबाईल नम्बर 9785033814 उपस्थित कार्यालय जिसने मन् उप अधीक्षक पुलिस को परिवादी के पेण्डिंग कार्य 1. इन्टरलॉकिंग खरंजा मय नाली निर्माण कार्य राकेश सुवालका की दुकान के कोने से मदन मेरोठा के मकान की ओर ग्राम कुंजेड़ 2. इन्टरलॉकिंग खरंजा मय नाली निर्माण कार्य निचला पाडा महादेव मन्दिर से बाबूलाल माली की ओर कुंजेड 3.नाला निर्माण

अनिष

कार्य आंगनबाडी केन्द्र से स्कूल की ओर उदयपुरिया 4. सामुदायिक सम्पतियों का रखरखाव एवं मरम्मत कार्य कुंजेड़ से सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रमाणित फोटो प्रतियां व आरोपी का सेवा विवरण पेश किया। जो बाद अवलोकन कार्यवाही हेतु शामिल पत्रावली किया गया। बाद प्राप्त रिकार्ड सहायक अभियन्ता को रूकसत किया गया। समय 07.10 पी0एम0 पर दिनांक 06.01.2023 को रिश्वत राशि मांग करने के सम्बन्ध में आरोपी श्री दिलीप कुमार मेहरा से परिवादी श्री मुकेश कुमार मीणा के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड की गयी थी, रिकार्ड वार्ता को कार्यालय के लेपटॉप मे लिया जाकर स्पीकर चालू कर दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री अभिषेक गुप्ता व श्री सोनू कुमार मीना एवं परिवादी श्री मुकेश कुमार मीणा को सुनाया गया। परिवादी ने रिकार्ड वार्ता में एक आवाज अपनी व एक आवाज आरोपी श्री दिलीप कुमार मेहरा की होना बताया। उक्त वार्ता की दोनो गवाहान व परिवादी की उपस्थिति में श्री लोकेश कुमार कानि0 362 से सरकारी लेपटॉप का स्पीकर चालू करके फर्द ट्रांसक्रिप्ट हूबहू नियमानुसार मन उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशन में तैयार करवायी जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 09.15 पी0एम0 पर दिनांक 09.01.2023 को परिवादी श्री मुकेश कुमार मीणा व आरोपी श्री दिलीप कुमार मेहरा के मध्य हुई वक्त लेन देन वार्ता की जो कार्यालय के डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड की गयी थी, रिकार्ड वार्ता को कार्यालय के लेपटॉप मे लिया जाकर स्पीकर चालू कर दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री अभिषेक गुप्ता व श्री सोनू कुमार मीना एवं परिवादी श्री मुकेश मीणा को सुनाया गया। परिवादी ने रिकार्ड वार्ता में एक आवाज अपनी व एक आवाज आरोपी दिलीप कुमार मेहरा ग्राम विकास अधिकारी की होना बताया। उक्त वार्ता की दोनो गवाह व परिवादी की उपस्थिति में श्री लोकेश कुमार कानि0 362 से कार्यालय के सरकारी लेपटॉप में स्पीकर चालू करके फर्द ट्रांसक्रिप्ट हूबहू नियमानुसार मन उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशन में तैयार करवायी गई। समय 10.05 पी0एम0 पर परिवादी को सुबह 11 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत कर रूकसत कर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री दिलीप कुमार मेहरा, स्वतंत्र गवाहान मय एसीबी जाप्ता साथ लाये प्राईवेट व सरकारी वाहनों से जब्तशुद्धा आर्टिकल्स के बारां के लिये रवाना हुआ। समय 11.40 पी0एम0 पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री दिलीप कुमार मेहरा मय गवाहन मय जाप्ता मय रिश्वत राशि मय जप्तशुदा आर्टिकल के प्राईवेट व सरकारी वाहनों से रवाना होकर थाना कोतवाली जिला बारां पहुंचा। आरोपी श्री दिलीप कुमार मेहरा को थाना प्रभारी के सुपुर्द कर सुरक्षित बन्द हवालात करवाया गया। थाना कोतवाली से रवाना होकर कार्यालय हाजा आया जप्तशुदा आर्टिकल्स व रिश्वत राशि को सुरक्षित जमा मालखाना करवाया गया। स्वतंत्र गवाहान को दिनांक 10.01.2023 को समय 11 एएम पर आने की हिदायत की जाकर रूकसत किया गया। दिनांक 10.01.2023 समय 11.00 एएम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री मुकेश कुमार मीणा कार्यालय हाजा उपस्थित आये। समय 11.25 ए0एम0 पर दिनांक 06.01.2022 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 09.01.2023 को हुई रिश्वत लेन देन वार्ता कुल दो वार्ताएं जो डिजीटल वाईस रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड में सेव थी को कार्यालय के सरकारी लेपटॉप मे सेव करवाकर कार्यालय के लेपटोप से चार पेन ड्राईव में श्री लोकेश कुमार कानि0 362 से सेव करवाई गयी। जिसकी फर्द डबिंग पेन ड्राईव श्री लोकेश कानि0 362 से तैयार करवाकर एक पेन ड्राईव बतौर वजह सबूत माननीय न्यायालय के लिये, एक पेन ड्राईव आरोपी के लिऐ, एक पेन ड्राईव आवाज नमूना परीक्षण हेतु कपडे की थैलीयों मे पृथक पृथक रखकर सील मोहर करके संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी हेतु खुली रखी गई। ट्रेप कार्यवाही में कार्यालय के डिजीटल वाईस रिकोर्डर में उपयोग किये गये sandisk ultra 32 gb मेमोरी कार्ड को न्यायालय के लिये एक कपडें की थैली में रखकर सील मोहर करके संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त आर्टीकल्स मालखाना प्रभारी को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाये गये। परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को बाद कार्यवाही रूखसत किया गया।

अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही व हालात् से पाया गया कि श्री मुकेश कुमार मीणा पुत्र रमेश कुमार जाति मीणा उम्र 35 साल निवासी खरखडा आसन तहसील अटरू जिला बारां ने ब्यूरों कार्यालय एसीबी बारां मे उपस्थित होकर स्वयं परिवादी द्वारा हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि मैं ठेकेदारी का काम करता हूं। मेरी फर्म आराध्या कन्स्ट्रक्शन खरखड़ा आसन के नाम से है। मेरी फर्म का निर्माण सामग्री सप्लाई करने का कार्य है। मैने ग्राम पंचायत कुंजेड़ में निर्माण कार्य व सामग्री सप्लाई के पेटे करीबन चार लाख पचास हजार रूपये बकाया चल रहे है। जिसके भुगतान के लिये मैं ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी श्री दिलीप सिंह मेहरा से जाकर मिला तो मेरे बकाया बिल के भुगतान के एवज में पांच प्रतिशत के हिसाब से रिश्वत की मांग कर रहा है। मैं उसको अपने जायज कार्य के लिये रिश्वत नही देना चाहता हूं और उसे रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं । परिवादी श्री मुकेश कुमार मीणा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों के अवलोकन एवं मजीद

(अभिषेक)

दरियाप्त से मामला भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की परिधि मे आना पाया जाने से रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन कराया जाना आवश्यक होने से दिनांक 06.01.2023 को रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया गया। गोपनीय सत्यापन के दौरान आरोपी श्री दिलीप कुमार मेहरा ग्राम विकास अधिकारी कुन्जेड द्वारा परिवादी मुकेश मीणा के पेण्डिंग कार्य 1. इन्टरलॉकिंग खरंजा मय नाली निर्माण कार्य राकेश सुवालका की दुकान के कोने से मदन मेरोठा के मकान की ओर ग्राम कुंजेड़ 2. इन्टरलॉकिंग खरंजा मय नाली निर्माण कार्य निचला पाडा महादेव मन्दिर से बाबूलाल माली की ओर कुंजेड 3.नाला निमार्ण कार्य आंगनबाडी केन्द्र से स्कूल की ओर उदयपुरिया 4. सामुदायिक सम्पतियों का रखरखाव एवं मरम्मत कार्य कुंजेड़ के बिलो के साढे चार लाख रूपये के पैण्डिंग भुगतान करने की ऐवज में 40,000रूपये रिश्वत की मांग की गई। परिवादी के पास दिनांक 06.01.2023 को रिश्वत राशि का इंतजाम नही होने से दिनांक 09.01.2023 को परिवादी श्री मुकेश मीणा रिश्वत के रूप में दी जाने वाली राशि 20,000रूपये लेकर उपस्थित कार्यालय आया। जिस पर दो स्वतंत्र गवाह 1. अभिषेक कुमार गुप्ता कनिष्ठ अभियंता सा0नि0वि0 बारां 2. सोनू कुमार मीना कनिष्ठ अभियंता सा0नि0वि0 बारां को तलब किये जाकर मय ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। दौराने ट्रेप कार्यवाही डडवाडा आटोन रोड पर आरोपी श्री दिलीप कुमार मेहरा पुत्र श्री प्रभुलाल वर्मा जाति मेहर उम्र 48 साल निवासी पार्श्वनाथ जैन कॉलोनी खेडलीगंज अटरू जिला बारां हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कुंजेड पंचायत समिति अटरू जिला बारां द्वारा परिवादी से 20,000रूपये रिश्वत राशि प्राप्त की गई। रिश्वत राशि 20,000रूपये आरोपी दिलीप कुमार मेहरा की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दायी जेब से बरामद हुई। आरोपी के दोनो हाथो की अगुलियों का धोवन व पेन्ट की जेब का धोवन गुलाबी प्राप्त हुआ। जिनको वजह सबूत जब्त किया जाकर कब्जे ब्यूरों लिया गया। आरोपी को नमूना आवाज का नोटिस दिया गया जिस पर आरोपी ने अपनी मर्जी से आवाज का नमूना देने से लिखित में मना किया। उपरोक्त कार्यवाही से आरोपी श्री दिलीप कुमार मेहरा पुत्र श्री प्रभुलाल वर्मा जाति मेहर उम्र 48 साल निवासी पार्श्वनाथ जैन कॉलोनी खेडलीगंज अटरू जिला बारां हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कुंजेड पंचायत समिति अटरू जिला बारां के विरूद्व जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधन) 2018 का दण्डनीय होना पाया जाने पर आरोपी दिलीप कुमार को बाद आगाह जूर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधन) 2018 में गिरफ्तार किया गया। समस्त कार्यवाही से श्री दिलीप कुमार मेहरा पुत्र श्री प्रभुलाल वर्मा जाति मेहर उम्र 48 साल निवासी पार्श्वनाथ जैन कॉलोनी खेडलीगंज अटरू जिला बारां हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कुंजेड पंचायत समिति अटरू जिला बारां के विरूद्व जूर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का दण्डनीय होना पाया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर को वास्ते क्रमांकन सादर प्रेषित है।

अनिष

(अनिष अहमद)
उप पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बारां

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अनिष अहमद, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बारां ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री दिलीप कुमार मेहरा पुत्र श्री प्रभुलाल वर्मा, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कुंजेड पंचायत समिति अटरू, जिला बारां के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 10/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

11.1.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक:- 74-77 दिनांक 11.1.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् बारां।
3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बारां।

11.1.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।